संख्या–355/XVIII-(2)/13-12(4)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास — देहरादूनः दिनांक 13 जून, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में **प्रथम किस्त** के रूप में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यो, प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान तथा जनपदों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मद के अंतर्गत धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यो हेतु प्रति जनपद ₹ 200.00 लाख, प्राकृतिक आपदा प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद में प्रति जनपद ₹ 75.00 लाख तथा जनपदों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मद के अंतर्गत प्रति जनपद ₹ 25.00 लाख, इस प्रकार प्रति जनपद ₹ 300.00 लाख (₹ तीन करोड़ मात्र) की दर से कुल ₹ 3900.00 लाख (₹ उन्तालीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या–32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 एवं संख्या–32-3/2012-NDM-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये है। जिसकी प्रति जिलाधिकारियों को अनुपालन हेतु पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है।

3– भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या–10 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो में मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो यथा–मार्गो एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबन्धित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुंऐं, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहां तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

4–. आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यो के लिए किया जायेगा, जो एस.डी.आर.एफ. के दिशा–निर्देशों में अनुमन्य हैं एवं जिनके लिए राज्य स्तरीय समिति से नियमानुसार आवश्यकता का आंकलन करा लिया गया हो और व्यय आंकलन के अनुसार ही किया जायेगा।

functions and to display their instinctive greatness. W
pursuit of this pleasant task and derive advantages w
with those we obtain from the breadearning routine
widen the sphere of our

5– मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी–

1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना नियमानुसार प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आगणंनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।
5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यो में कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

6– वास्तविक क्षति के कार्यो पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यो, नव निर्माण तथा विकास कार्यो में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

7– प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. (F.I.R.) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8– क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गो एवं हल्का वाहन मार्गो के प्रस्तावों पर वास्तविक क्षति के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई एवं क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा प्रति कि0मी0 सड़क निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु मूल आगणंन के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

20– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

21– पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था भारत सरकार के राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय हेतु निर्धारित मद एवं मानकों के अनुसार ही की जायेगी। अर्थात विशिष्ट पेयजल कमी की परिस्थितियों में राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त अधिकतम 30 दिनों के लिए पेयजल व्यवस्था की जा सकती है। यदि सूखे (Drought, अधिनियम में परिभाषित) की स्थिति हो तब अधिकतम 90 दिनों तक पेयजल आपूर्ति राज्य स्तरीय समिति (SEC) के अनुमोदन से की जा सकेगी। सामान्य पेयजल व्यवस्था में बाधा होने या पेयजल विभाग की आपूर्ति सम्बन्धी अन्य कठिनाइयों के कारण इस मद की धनराशि देय नहीं होगी। यह भली भांति सुनिश्चित किया जाय।

22– प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की सम्यक पहिचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

23– उपरोक्त प्रस्तावित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

24– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्रसंख्या–36 NP/वित्त अनु0–5/2013, दिनांक 13 जून, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–355(1)/XVIII-(2)/F/13-12(04)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव